FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा केम्प कोर्ट फलामादा

मिठू कॅवर पुत्री शम्भू सिंह पत्नि मंगल सिंह राजपूत, निवासी फलामादा बनाम पारस कॅवर पुत्री शम्भू सिंह पत्नि किशनसिंह निवासी– भैरु खेडा

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 ए. रा.टी.ए. प्रकरण संख्या– 283/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.05.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट फलामादा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे । वकील वादी के द्वारा प्रकरण का निस्तारण केम्प कोर्ट में करवाये जाने की इस्तदुआ करने पर वकील वादी की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर उनके मौरुस शम्भूसिंह के समय की है। जिनका सजरा वाद पत्र की कलम नम्बर– 2 में दर्शित किया गया है। उक्त मौरुसी आराजीयात में वादीगण का 1/8, प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 6 का प्रत्येक का 1/8, 1/8, प्रतिवादी संख्या– 7 से 12 का 1/8, हक हिस्सा निहित है। वकील वादी का यह भी कथन था कि शम्भू सिंह की मृत्यु के बाद उक्त मौरुसी आराजीयात में वादीया मिठू कॅवर व प्रतिवादीया संख्या–1 पारसकॅवर का नाम विरासत के नामान्तकरण में छोड दिया गया। जबकि वह शम्भू सिंह की जाईयन्दा पुत्रीयॉ होने से उनका भी हक हिस्सा निहित है। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादीया को 1/8 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें। मैनें वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है– वादी के द्वारा प्रस्तुत ग्राम फलामादा के नामान्तकरण संख्या– 1021 निर्णय दिनांक 20.02.2010 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है। जिस अनुसार मृतक खातेदार शम्भूसिंह पिता तेज सिंह व उनके पुत्र गम्भीर सिंह राजपूत साकिन देह के खातेदारी भूमि का विरासत से नामान्तकरण उदय सिंह, शंकर सिंह, दलेल सिंह, माधू सिंह , प्रताप सिंह, मिठू कॅवर, पारस कॅवर पुत्री शम्भू सिंह, प्रेम कॅवर बेवा गम्भीर	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

सिंह, भँवर सिंह, गंगासिंह, भारत सिंह, भँवर कँवर, श्याम कँवर पुत्री गम्भीर सिंह राजपूत साकिन देह के पक्ष में नामान्तकरण पटवारी हल्का के द्वारा भरा जाकर बाद जॉच गिरदावर हल्का के न्यायालय ग्राम पंचायत फलामादा के सम्मुख प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत के द्वारा उदय सिंह, शंकर सिंह, दलेल सिंह, प्रताप सिंह, माधव सिह, पिता शम्भू सिंह , व प्रेम कँवर बेवा गम्भीर सिंह, भँवर सिंह, गंगासिंह, भरत सिंह, पिता गम्भीर सिंह के नाम नामान्तकरण निहित किया जाना प्रकट आया है। तथा हाल जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071 मौजा फलामादा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 523, 524, 525, 526, 527, 767, 1702/527 किता 7 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि उदय सिंह, शंकर सिंह, दलेल सिंह, प्रताप सिंह, माधव सिह, पिता शम्भू सिंह , व प्रेम कँवर बेवा गम्भीर सिंह, भँवर सिंह, गंगासिंह, भरत सिंह, पिता गम्भीर सिंह राजपूत साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

यहॉ वादीया का कथन है कि वाद ग्रस्त आराजीयात उनके पिता शम्भू सिंह के समय की होने से उनका भी वाद ग्रस्त आराजीयात में समान हक हिस्सा निहित है। इसके विपरीत प्रतिवादीगण न तो न्यायालय में उपस्थित हुये । और न ही उनके द्वारा वादीया के वाद का कोई खण्डन किया गया है। ऐसी स्थिति में वादीया के वाद की पृष्टि स्वतेही हो जाती है। चुँकी पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या– 1021 के अनुसार विवादित आराजीयात शम्भू सिंह पिता तेज सिंह के खातेदारी की रही है। खातेदार के छः गम्भीर सिंह, उदयसिंह, शंकर सिंह, दलेल सिंह, माधव सिंह, प्रताप सिंह व दो पुत्रीयॉ मिठू कँवर व पारस कँवर है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में वादीया मिठू कँवर का 1/8 हक हिस्सा निहित होना प्रकट आया है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत फलामादा के द्वारा जो नामान्तकरण निर्णित किया गया है उसमें मिठू कँवर व पारस कँवर का नाम अपने निर्णय में छोड दिया है, जो विधि विरुद्ध है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम– 1956 की धारा– 8 के अनुसार पिता की सम्पति में पुत्रीयॉ का भी समान हक हिस्सा निहित है। ऐसी स्थिति में दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

"निर्णय"

दावा डिक्री किया जाकर मौजा फलामादा तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 523, 524, 525, 526, 527, 767, 1702/527 किता 7 रकबा 16 बीघा 05 बिस्वा भूमि के खातेदारान के साथ वादीया श्रीमति मिठू कँवर व श्रीमति पारस

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

कँवर पुत्री शम्भू सिंह राजपूत को 1/8 , 1/8 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीया व प्रतिवादीया संख्या– 1 के हक हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें न करावें । तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को केम्प कोर्ट फलामादा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner